भारत के राष्ट्रीय पर्व

प्रो. (डॉ.) सोहन राज तातेड़,

पूर्व कुलपति सिंघानिया विश्वविद्यालय, राजस्थान

भारत को आर्य देश कहा जाता है। इस देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। अनेकता में एकता भारत देश की बहुत बड़ी विशेषता है। अनेक धर्मो, अनेक जातियों के लोग इस देश में निवास करते हैं। सभी अपने धर्म एवं सम्प्रदाय के अनुसार पर्वों को मनाते है। कुछ पर्व धार्मिक महत्व के होते है और कुछ पर्व राष्ट्रीय पर्व के है। पन्द्रह अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। अंग्रेजों को देश छोड़कर के जाना पड़ा। लाल किले के उपर तिरंगा लहराया गया। आजादी को सुरक्षित रखने के लिए कानून विदों ने एक संविधान बनाया। भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त भारत के राष्ट्रीय पर्व है। प्रत्येक नागरिक को समानता के आधार पर प्रगति करने का अधिकार है। यहां का हर व्यक्ति समान है। कानून की दृष्टि में बिना किसी भेद–भाव के सभी लोग आगे बढ़ सकते है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम राष्ट्रीय भावना से कार्य करें। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिया है। समाज के सभी लोगों को मिलजुलकर जीवन–यापन करना चाहिए।

राष्ट्रीय राष्ट्र का पर्व होता है। राष्ट्र के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनायें। गणतंत्र का अर्थ है राष्ट्र का सर्वोच्च राष्ट्रपति गणतंत्र का प्रतीक होता है। उसका निर्वाचन होता है। निर्वाचन के द्वारा वह राष्ट्र के प्रतीक के रूप में राष्ट्र का प्रथम नागरिक माना जाता है। इसी तरह पन्द्रह अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। तिरंगा हमारे राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है। हमारे देश का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते अर्थात् सत्य की सदैव विजय होती है। जो सत्य के मार्ग का अनुकरण करता है वह सदैव आगे बढ़ता है। 26 नवम्बर 21949 को जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ, उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव

अम्बेडकर का योगदान रहा है। 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाला विराट् देश का यह लिखित संविधान देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित किये हुए है।

हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न, लोकतंत्रात्मक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र घोषित किया गया है। प्रभुत्वसम्पन्न का अर्थ है– भारत विदेशी मामलों एवं आंतरिक विषयों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने में पूर्ण स्वतंत्र है। लोकतंत्रात्मक का अभिप्राय है कि भारत की सत्ता जनता में निहित है अर्थात् जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि निश्चित अवधि तक शासन संचालन करते है और जनता के प्रति उतरदायी होते है। समाजवादी अवधारणा के पीछे मंतव्य यह है कि समाज के सभी लोग अपनी योग्यता अनुसार पद और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते है। धर्म–निरपेक्षता का अर्थ है कि धार्मिक मामलों में राष्ट्र किसी के साथ कोई भेद–भाव नहीं करेगा। सभी देशवासी अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने में स्वतंत्र है। गणतंत्र का तात्पर्य यह है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष कोई वंशानुगत राजा न होकर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति होगा।

राजनैतिक समानता के साथ–साथ सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त करने के लिए समय–समय पर संविधान में संशोधन भी हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द बाद में जोड़े गये। हमारे संविधान की गणतंत्रात्मक व्यवस्था ने देश क विकास में महनीय योगदान दिया है। जनता के चुने हुये प्रतिनिधि शासन करते हैं। इन प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार जनता को ही होता है। ये प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार से अवगत कराते हैं और उसका उचित समाधान पाने का प्रयास करते हैं। इन्हीं प्रतिनिधियों के बहुमत दल के नेता को सर्वाधिकार सम्पन्न किया जाता है। जिससे की वह देश का सुव्यवस्थित संचालन कर सके।

हमारी इस व्यवस्था में जहां अनेक प्रकार की अच्छाईयां वहीं कुछ खामिया भी है। बहुदलीय व्यवस्था, कार्यपालिका की अस्थिरता, मंत्रिमण्डल का बढ़ता आकार, राजनीतिक दलबंदी आदि इस व्यवस्था के लिए खतरनाक हैं। राष्ट्रीय पर्व हमें राष्ट्र की एकता और अखण्डता का स्मरण कराते हैं। इस दिन हम राष्ट्र के इतिहास और भूगोल का स्मरण करके कुछ सीख लेते हैं जिससे हमें आगे बढ़ने में कोई कठिनाई न हो। इस दिन लालकिले की प्राचीर से हमारे देश

के प्रधानमंत्री देश की प्रगति का खाका खींचते है और देश की भावी योजनाओं के बारे में देश की जनता को अवगत कराते है। 26 जनवरी को देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय देश को संबोधित करते हैं। उनके संबोधन में देश की भावी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में बताया जाता है। देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। देश के रक्षाविभाग से जुड़े हुये सभी अधिकारी और गणमान्य सदस्य लालकिले पर मौजूद होकर देश को सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। भारत देश विभिन्नताओं का देश है। इस देश में सभी लोगों को राष्ट्रीय पर्व मनाने का सुअवसर प्राप्त होता है। सभी नागरिक आपसी भेदभाव को भुलकर के जोश और उत्साह के साथ इस राष्ट्रीय पर्व में भाग लेते हैं। राष्ट्रवाद की भावना और एकता की भावना सभी देशवासियों के मन में समायी रहती है। इसलिए राष्ट्रीय पर्व सभी भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है।